उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
माननीय न्यायाधीश श्री एस0के0 मिश्रा, ए0सी0जे0

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांकः–23.11.2021
निर्णय का दिनांकः– 25.03.2022

अपील, आदेश संख्या–179/2011

अतुल कुमार भगत

..... **अपीलार्थी**

बनाम

विनोद कुमार खोलिया आदि

..... **उत्तरदाता**

अपीलार्थी के अधिवक्ता :– श्री राजेश जोशी,
उत्तरदातागण के अधिवक्ता :– श्री ए0एम0 सकलानी, उत्तरदाता संख्या–1 की ओर से
श्री ललित बेलवाल, उत्तरदाता संख्या–2 की ओर से

विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात् न्यायालय द्वारा निम्न निर्णयादेश पारित किया गयाः (श्री एस0के0 मिश्रा ए0सी0जे0)

अपीलकर्ता ने एम0ए0सी0पी0 संख्या–112/2008 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2022 द्वारा खारिज करने के उपरांत वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.2008 को समय लगभग 09:20 ए0एम0 पर जब अपीलकर्ता अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये अपनी मोटरसाईकिल से नैनीताल जा रहा था, तो जोखिया के पास, एक वाहन (टावेरा नम्बर यू0ए0 04डी0 0345,) जिसे उसके चालक द्वारा भवाली की ओर लापरवाही से चलाया था, ने अपीलकर्ता की मोटर साईकिल को ओवरटेक करते समय टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के कारण अपीलकर्ता को गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। दुर्घटनास्थल पर जमा लोगों द्वारा अपीलकर्ता को बी0डी0पांडे अस्पताल, नैनीताल ले जाया गया। अपीलकर्ता की गंभीर स्थिति को देखते हुये, प्रारम्भिक उपचार के बाद, अपीलकर्ता को साईं अस्पताल, हल्द्वानी के लिये रैफर कर दिया गया। वहां अपीलकर्ता के दांहिने

क्रमशः.....

हाथ का ऑपरेशन किया गया। अपीलकर्ता को यह भी सूचित किया गया कि उसे भविष्य में एक और ऑपरेशन से गुजरना होगा, जिसमें लगभग मु0 1,00,000/–रुपये खर्च होगा। जबकि अपीलकर्ता ने पहले ही अपने ईलाज में मु0 1,00,000/–रुपये का खर्च वहन किया। उक्त दुर्घटना के कारण अपीलकर्ता पूरी तरह विकलांग हो गया है। अपीलकर्ता नैनीताल के जूलॉजिकल गार्डन में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर के तौर पर मु0 6,000/–रुपये प्रतिमाह के वेतन में अनुबंध के आधार पर काम कर रहा था। इसके अलावा अपीलकर्ता कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर के काम से भी प्रतिमाह मु0 5,000/–रुपये कमा लेता था। इस प्रकार अपीलकर्ता की प्रतिमाह कुल आय मु0 11,000/–रुपये थी। इन तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता ने विपक्षी से मुव0 10,00,000/–रुपये पर 9 प्रतिशत ब्याज की दर से, मुआवजे का दावा किया है।

3. विपक्षी संख्या–1 श्री विनोद कुमार खोलिया, जो कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के स्वामी हैं, ने अपना जवाबदावा दाखिल किया। अपीलकर्ता द्वारा अपनी दावा याचिका में अन्य बातों के साथ–साथ अपनी मोटरसाईकिल की संख्या और बीमा के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है, जिसका की अपीलकर्ता मालिक होने का दावा कर रहा है। इस आधार पर अपीलकर्ता द्वारा दायर दावा याचिका अस्पष्ट और अधूरी होने के कारण खारिज किय जाने योग्य है। यह भी कहा गया है कि विपक्षी संख्या–1 के वाहन संख्या–यू0ए0 04डी0 0345 के द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई थी। अपीलकर्ता ने इस संबंध में संबंधित पुलिस थाने में कोई भी लिखित या मौखिक जानकारी नहीं दी थी। अपीलकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या–1 से धन प्राप्त करने के लिये विपक्षी संख्या–1 को झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर पक्षकार बनाया गया है। संबंधित वाहन का बीमा नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा किया जाता है।

4. विपक्षी संख्या–2 (नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी) ने अपना जवाबदावा दाखिल किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया है कि कंपनी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। अपीलकर्ता द्वारा उक्त दुर्घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तथा अपीलकर्ता की पूरी कहानी झूठे एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त

क्रमशः.....

कम्पनी को मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी नहीं मिली। अतः अपीलकर्ता का दावा याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

5. विपक्षी संख्या–3 (श्री हेम सिंह अधिकारी) के द्वारा पर्याप्त तामीली के बावजूद भी कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया। इसलिये, आदेश दिनांक 30.08.2010 के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था।

6. इसके विपरित विपक्षी संख्या–4 (श्री कंचन कुमार भगत) जो अपीलकर्ता का भाई है, ने जवाबदावा दाखिल करते हुये अन्य बातों के साथ–साथ कहा कि दिनांक 22.04.2008 को सुबह 09:20 मिनट पर अपीलकर्ता अपनी मोटरसाईकिल संख्या–यू0ए0 04ई0 2955 से समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये नैनीताल जा रहा था। जब वह जोखिया के पास पहुंचे तो एक वाहन (टवेरा संख्या–यू0ए0 04डी0 0345) जिसे उसके चालक द्वारा भवाली की ओर लापरवाही से चलाया जा रहा था, ने ओवरटेक करते समय अपीलकर्ता की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के कारण अपीलकर्ता के शरीर में गंभीर चोटें आईं। आगे यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता अपनी मोटरसाईकिल को बहुत सावधानी से और अपनी बाईं ओर धीमी गति से चला रहा था। आगे कहा गया है कि दुर्घटना के समय, संबंधित मोटरसाईकिल का बीमा यूनाईटेड इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से था और विपक्षी संख्या–4 के भाई अर्थात अपीलकर्ता के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति थी।

7. विपक्षी संख्या–5 (यूनाईटेड इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड) ने भी अपना जवाबदावा दायर किया और अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया कि दुर्घटना, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। यह भी कहा गया कि कंपनी को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उक्त दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसलिए दावा विपक्षी संख्या–5 के विरूद्ध खारिज किए जाने योग्य है।

8. इस तरह अभिवचनों के आधार पर विद्वान अधिकरण द्वारा पांच विवाद्यक तैयार किये गयेः–

(i) क्या दिनांक 22.04.2008 को लगभग सुबह 09:20 पर, जब अपीलकर्ता जूलॉजिकल गार्डन में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी मोटरसाईकिल पर जा रहा था और जब

क्रमशः.....

वह जोखिया के पास पहुंचा, तो नैनीताल से भवाली की ओर आ रहे वाहन (टावेरा वाहन संख्या–यू0ए0 04डी0 0345) के चालक द्वारा वाहन को जल्दीबाजी और लापरवाही से चलाये जाने पर, ओवरटेक करते समय अपीलकर्ता की मोटरसाईकिल को टककर मार दी, जिसके कारण अपीलकर्ता को गंभीर चोटें आईं?

(ii) क्या उक्त दुर्घटना के समय वाहन (टावेरा वाहन संख्या–यू0ए0 04डी0 0345) का बीमा विपक्षी संख्या–2 बीमा कम्पनी राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड से बीमित था और वाहन बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार संचालित किया जा रहा था?

(iii) क्या घटना के समय पर अपीलकर्ता तथा वाहन (टावेरा वाहन संख्या–यू0ए0 04डी0 0345) के चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति थी?

(iv) क्या दावा याचिका मोटरसाईकिल के अभिकथित मालिक और उसकी बीमा कंपनी के असंयोजन से दूषित है ?

(v) क्या अपीलकर्ता कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार है? यदि हॉ तो कितना और किससे?

9. जहां तक बिन्दु संख्या–1 का संबंध है, विद्वान अधिकरण ने कहा कि अपीलकर्ता यह सिद्ध करने में असमर्थ था कि दिनांक 22.04.2008 को सुबह लगभग 09:20 बजे जब वह जूलॉजिकल गार्डन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपनी मोटरसाईकिल से जा रहा था, तो वाहन (टावेरा वाहन संख्या–यू0ए0 04डी0 0345), जिसे उसके चालक ने नैनीताल से भवाली तक लापरवाही से चलाया था, ने जोखिया के पास ओवरटेक करते समय उसकी मोटरसाईकिल को टककर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसलिये बिन्दु संख्या–1 का निर्णय अपीलकर्ता के विरूद्ध किया गया।

10. जहां तक बिन्दु संख्या–2 का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कथित दुर्घटना की तारीख को, उल्लंघन करने वाला वाहन (टावेरा वाहन संख्या–यू0ए0 04डी0 0345) विपक्ष संख्या–2 राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड से बीमित था, उक्त बिन्दु का निर्णय अपीलकर्ता के पक्ष में और विपक्षी संख्या–2 के विरूद्ध किया गया है।

क्रमशः.....

11. जहां तक बिन्दु संख्या–3 का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कथित दुर्घटना के समय अपीलकर्ता और उल्लंघनकारी वाहन (टावेरा वाहन संख्या–यू0ए0 04डी0 0345) के चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति थी। अतः इस बिन्दु का निर्णय अपीलकर्ता के पक्ष में और विपक्षी संख्या–3 के विरूद्ध किया गया है।

12. बिन्दु संख्या–4 के संबंध में, अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर संशोधन आवेदन में पारित आदेश दिनांक 13.10.2010 के अनुसार मोटरसाईकिल संख्या–यू0ए0 04ई0 2955 के मालिक और उसक बीमा कम्पनी को पहले ही दावा याचिका में विपक्षी संख्या–4 और 5 के रूप में पक्षकार बनाया जा चुका है। तदुनसार यह माना गया कि यह मुद्दा निरर्थक है।

13. हालांकि, जहां तक बिन्दु संख्या–5 का संबंध है अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बिन्दु संख्या–1, दुर्घटना के संबंध में अपीलकर्ता के विरूद्ध निर्णय लिया गया है, अपीलकर्ता कोई प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

14. तदनुसार अपीलकर्ता द्वारा दायर दावा याचिका खारिज कर दी गई, इसलिये वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

15. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

16. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने सबूतों की जांच इस तरह की है, जैसे कि वह आपराधिक मामले का न्याय कर रहा हो। हांलाकि आक्षेपित निर्णय में कहीं भी यह परिलक्षित नहीं हुआ है कि अधिकरण युक्ति–युक्त संदेह से परे दावा याचिका में किए गए कथनों का प्रमाण मांग रहा था। वास्तव में आक्षेपित निर्णय में निहित चर्चाओं से पता चलता है कि अधिकरण मामले के पूरी तरह से सबूतों की मांग कर रहा था। विद्वान अधिवक्ता ने मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय **कुसुम लता और अन्य बनाम सतवीर और अन्य (2011) 3 एससीसी 646** को आधार बनाया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए, निष्कर्ष पर विचार किया था कि वाहन संख्या–एचआर 34 8010 दुर्घटना में निहित नहीं था, क्योंकि पीड़ित के भाई अशोक कुमार द्वारा दर्ज प्राथमिकी में न तो वाहन का नंबर और न ही चालक का नाम था। इस मामले पर

क्रमशः.....

निर्णय लेते समय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह सर्वविदित है कि मोटर दुर्घटना के दावों से संबंधित मामले में, दावेदारों को मुकदमे को आपराधिक मुकदमे की तरह साबित किये जाने की आवश्यकता नही है। पैराग्राफ 9 और 10 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गये सटीक शब्दों पर ध्यान देना उचित हैः–

''9. ऐसा कोई कारण नहीं है कि अधिकरण और उच्च न्यायालय धीरज कुमार के विश्वसनीय साक्ष्य की अनदेखी करेंगे। वास्तव में, अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा धीरज कुमार के साक्ष्य को खारिज करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है। तथाकथित कारण कि चूंकि प्राथमिकी में धीरज कुमार का नाम नहीं था, इसलिये धीरज कुमार के लिए घटना को देखना संभव नहीं था। इस मामले में तथ्य–स्थिति का उचित मूल्यांकन नहीं है। यह सर्वविदित है कि मोटर दुर्घटना के दावों से संबंधित मामले में दावेदारों को आपराधिक मामले की तरह साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए।

10. इस संबंध में बिमला देवी और अन्य बनाम हिमाचल सड़क परिवहन निगम और अन्य {(2009) 13 एस0सी0सी0 530} के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें इस बिंदु पर प्रासंगिक अवलोकन किया गया है और जो बहुत प्रासांगिक है और नीचे उद्धत किया गया हैः–

''इस तरह की स्थिति में, अधिकरण ने मामले पर समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। यह ध्यान में रखना आवश्यक था कि एक विशिष्ट तरीके से किसी विशिष्ट बस के कारण हुई दुर्घटना का सख्त प्रमाण दावेदारों द्वारा किया जाना संभव नहीं हो सकता है। दावेदारों को केवल अपने मामले को अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर स्थापित करना था। युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाण का मानक लागू नहीं किया जा सकता था।''

(जोर दिया गया)

17. मौजूदा मामले में भी, विद्वान अधिकरण ने बहुत ही विस्तृत रूप से और एक शल्य चिकित्सक की सटीकता के साथ, साक्ष्य की जांच की है। ऐसे मामलों में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में

क्रमशः.....

उल्लिखित साक्ष्य का सख्त नियम लागू नहीं होता है और अदालतों को व्यापक संभावनाओं पर आगे बढ़ना चाहिए।

18. मामले के उस दृष्टिकोण में, विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश, जहां तक बिन्दु संख्या–1 संबंधित है, कायम रखने योग्य नहीं है और अधिकरण को इस पर फिर से विचार करना चाहिए।

19. तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है। विद्वान अधिकरण द्वारा बिन्दु संख्या–1 और 5 पर दिये गये निष्कर्षों को अपास्त किया जाता है। हालांकि विद्वान अधिकरण द्वारा बिन्दु संख्या–2, 3 और 4 को अबाधिक छोड़ दिया गया है। मामले को फिर से विचार करने के लिये और बिन्दु संख्या–1 और 5 पर उचित आदेश पारित करने के लिये विद्वान अधिकरण को वापस भेजा जाता है।

20. पक्षकारों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नैनीताल के समक्ष दिनांक 09 मई 2022 को उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। इस फैसले की प्रमाणित प्रति के साथ निचली अदालत के रिकॉर्ड को अधिकरण को तुरंत वापस कर दें।

एस0के0मिश्रा, ए0सी0जे0

दिनांकितः– 25 मार्च, 2022